कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष एवं फैक्स नंबरः– 07759–221096 Mail id – deo-korba.cg@nic.in, deokorba.cg@gmail.com ,

विथेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अर्हता तिथि 01/01/2026

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2025 की जानकारी

1. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देथ कमांक 23/2025–ईआरएस/वाल्यूम–2 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ0ग0 रायपुर का पत्र कमांक /02/03/निर्वा.नामा./गहन पुन./ 2025/3289 रायपुर दिनांक 27/10/2025 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01/01/2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विथेष गहन पुनरीक्षण SIR संबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों का विथेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम 28/10/2025 से 21/02/2026 तक सम्पन्न होना है।
2. विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य

- संविधान के अनुच्छेद 326 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 एवं 19 के तहत सभी योग्य व्यक्ति का निर्वाचक सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करना।
- निर्वाचक सूची में कोई भी योग्य नागरिक का नाम छूटे नहीं तथा
- कोई भी अयोग्य व्यक्ति का नाम जुड़े नहीं।
- निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने की योग्यता
  संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार :
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना
- निर्वाचन क्षेत्र का ''मामूली तौर से निवासी'' होना
- भारत का नागरिक होना
- किसी कानून के तहत निरर्हित नहीं होना

3. **छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों का विथेष गहन पुनरीक्षण (ए) का कार्यकम निम्नानुसार हैः–**

Sr.No.	Activities	Schedule
2	Enumeration period	18.12.2025
3	Rationalization /Re-arrangement of Polling Stations	18.12.2025
4	Updation of Control Table and Preparation of draft roll	19.12.2025 to 22.12.2025
5	Publication of draft electoral roll	23.12.2025
6	Period for filing clams &cbjections	23.12.2025 to 22.01.2026

7	Notice Phase (Issuance,hearing &verification , decision on Enumeration Forms and disposal of claims and objection to be done concurrently by the EROs	23.12.2025 to 14.02.2026
8	Checking of health parameters of electoral rolls and obtaining Commissions permission for final publication	17.02.2026
9	Final Publication of Electoral Roll	21.02.2026

4. **कोरबा जिले में कुल 04 विधानसभा क्षेत्र–20–रामपुर, 21–कोरबा, 22–कटघोरा एवं 23–पाली तानाखार**
5. **कुल मतदान केन्द्रों की संख्या –पूर्व में 1081 मतदान केन्द्र एवं युक्तियुक्तकरण पश्चात 132 नवीन मतदान केन्द्र बनाया जाकर कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1211 है।**
6. **कोरबा जिले में मतदाताओं की संख्या – पुरूष – 409417 महिला–407974 तृतीय लिंग–19 कुल–951278 है।**
7. **विगत SIR 2003 में कोरबा जिले की मतदाताओं की संख्या पुरूष – 304033 महिला–286441 कुल–590474 था।**
8. **निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान की जाने वाली कार्यवाही :–**

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामवली का विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य त्रुटियुक्त फोटोयुक्त निर्वाचक नामवली का अद्यतीकरण किया जाना। इसके पूर्व वर्ष 2003 में निर्वाचक नामवली का विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था। जिसके आधार पर वर्तमान में वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान का कार्य किया जाकर अद्यतीकरण की कार्यवाही की जानी है। तत्संबंध में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी निम्नानुसार कार्य संपादन करेंगेः–

- बीएलओ प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार वर्तमान पंजीकृत मतदाताओं के पूर्व मुद्रित विवरण के साथ प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और उन्हें प्रपत्र भरने में मार्गदर्शन करेंगे।
- यदि बीएलओ को पता चलता है कि गणना के समय कोई घर बंद है, तो वह गणना प्रपत्र घर में रख देगा और भरे हुए प्रपत्रों को एकत्र करने के लिए कम से कम तीन बार जाएगा।
- बीएलओ मतदाताओं को यह भी सूचित करेगा कि वे पहले से भरे हुए गणना प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और भरे हुए प्रपत्रों और दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं।
- प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी और स्वसत्यापित दस्तावेजों के साथ गणना प्रपत्र बीएलओ के पास जमा करना होगा।
- बीएलओ प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र की भरी हुई प्रति एकत्र करेगा।

- बीएलओ गणना प्रपत्र की एक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने पास रखेगा और गणना प्रपत्र की दूसरी प्रति पर प्रपत्र और दस्तावेज की प्राप्ति की पावती देगा, जो आवेदक के पास रहेगी ।
- सर्वेक्षण के दौरान यदि किसी घर में 18 वर्ष या उससे अधिक का अपंजीकृत परिवार का सदस्य मिलता है तो बीएलओ उनसे फार्म 6 में आवेदन प्राप्त करेगा, इसके लिए बीएलओं पृथक से कोरे फार्म रखेगा।
- यदि किसी मतदाता ने दस्तावेजों के साथ भरा हुआ फार्म ऑनलाईन अपलोड किया है, तो बीएलओ मतदाता के घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
- बीएलओ इन फार्मों और संलग्न दस्तावेजों को बीएलओ/ईसीआईनेट मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपलोड करेगा।
- इसके बादए बीएलओ सभी एकत्रित गणना फार्मों को उनके दस्तावेजों के साथ संबंधित ईआरओ/एईआरओ के पास रिकार्ड के लिए जमा करेगा।
- बीएलओ प्राप्त प्रत्येक गणना फार्म पर अभिमत देगा।
- बीएलए भी बीएलओ के पास एक दिन में अधिकतम 50 गणना पत्रक जमा कर सकेगा। बीएलओ द्वारा ऐसे प्राप्त फार्मों का भी घर–घर सत्यापन किया जाएगा।

9. घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक सूची निम्नानुसार है:–

1. केन्द्रीय/राज्य/पी.एस.यू. के नियमित कर्मचारी/पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/पेंथन भुगतान आदेथ (पी.पी.ओ.)
2. सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एल.आई.सी.पी.एस.यू. द्वारा भारत में दिनांक 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेथन/थैक्षणिक प्रमाण– पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण–पत्र।
8. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत व्ठब्ैब्ज् या कोई जाति प्रमाण–पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ यह उपलब्ध हो)।
10. राज्यध्स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर।
11. सरकार की कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण–पत्र
12. आधार रू निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश पत्र क्रमांक 23/2025-ERS /Volume II दिनांक 09/09/2025 के अनुसार लागू
13. दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार राज्य में हुए एसआईआर से संबंधित निर्वाचक नामावली का उध्दरण

10. मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाथन दिनांक 23/12/2025 की जाने वाली कार्यवाही :-

कोरबा जिले में 04 विधानसभा के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 04, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 10 एवं 26 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि में दावा आपत्ति प्राप्त किया जाकर निराकरण की कार्यवाही 14/02/2026 तक किया जावेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाथन दिनांक 21/02/2026 को किया जावेगा। कोरबा जिले के कुल मतदाता 9,51,278 जिसमें पुरूष मतदाता 4,09,417 , महिला मतदाता 4,07,974 एवं तृतीय लिंग मतदाता 19 है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कैटेगिरी ए में 3,15,960 कैटेगरी बी में 4,60,677 एवं कैटेगरी सी में 40,882 तथा अनकलेक्टेड फार्म का विवरण निम्नानुसार है, जिसमें मृत्यु के 30,613 (3.22%) , अनुपस्थित के 15,495 (1.63%) , स्थानान्तरित के 81,355 (8.55%) दोबारा प्रविष्टि के 5,340 (0.56%) एवं अन्य के 938 (0.01%) इस तरह कुल अनकलेक्टेड फार्म में 1,33,741 (14.06%) पाया गया है।

11. यह कैसे जांचे कि आपका नाम ड्राप्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं:-

- **स्थानीय बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) के पास उपलब्ध ड्राप्ट वोटर लिस्ट से।**
- **ECINET मोबाइल एप से**
- **Voters .eci.gov.in से**

12. <u>अगर आपका नाम ड्राप्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो क्या करें</u> :-अगर नाम ड्राप्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो नाम शामिल करने के लिए घोषणा पत्र के साथ फार्म 6 भरना होगा, और इसे इनेक्सर IV और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा।

13. एप्लीकेशन फार्म :-

फॉर्म 6	नए वोटर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म 6 A	विदेश में रहने वाले वोटर द्वारा इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन
फॉर्म 7	मॉजूदा इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने /हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए वोटर एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म 8	निवास बदलने/मौजूदा इलेक्टोरल रोल में एंट्री में सुधार /EPIC बदलने / PwD मार्क करने के लिए वोटर एप्लीकेशन फार्म

14. एप्लीकेशन फार्म कहां जमा करें –

- नागरिक अपना एप्लीकेशन फार्म अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (**BLO) के पास जमा कर सकते है। या**
- **एप्लीकेशन फार्म** ECINT मोबाइल ऐप या https: **Voters .eci.gov.in के जरिए ऑनलाईन भी जमा किया जा सकता है।**

15. युवा वोटरों को शामिल करना :–

- जो युवा वोटर 01.01.2026 को या उससे पहले 18 साल के हो गये है या हो जाएंगे, उन्हें फार्म–6 के साथ एनेक्सर–4 में दिये गये जरूरी घोषणा पत्र के साथ अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

16. प्रारूप मतदाता सूची की जांच :–

- एस.आई.आर. आदेशानुसार प्रारूप मतदाता सूची 23 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित की गई। मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित व डिजिटल प्रतियां राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई एवं सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाईट https://ceochhattisgarh.nic.in/ पर प्रदर्शित की गई।
- दावा एवं आपत्ति अवधि 23.12.2025 से 22.01.2026 के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा अपात्र नाम हटाने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

17. नियमानुसार ही नाम विलोपन :–

- एस.आई.आर. दिशा निर्देश के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बिना नोटिस जारी किये एवं स्पीकिंग ऑर्डर पारित किए बिना कोई भी नाम सूची से नही हटाया जाएगा। पीडित मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रट एवं द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास कर सकता है।
- आयोग पारदर्शी, सहभागी एवं समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति तथा कोई योग्य मतदाता ना छूटे वह कोई अयोग्य नाम सूची में शामिल न हो इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

पत्र पृ.क्र./ 728 /नि.पर्य./सा.नि./2025 — कोरबा, दिनांक 23/12/2025

प्रतिलिपिः–

1. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कोरबा जिले के दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)